पत्र संख्या – 26 / विविध–06–20 / 2023 .....

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, दरभंगा के अधीन कमला बराज गेट, जयनगर के यांत्रिक कार्य से संबंधित कोटेशन आमंत्रण सूचना सं0–13 / 2022–23 दिनांक–09.12.2022 में संवेदक मेसर्स हार्डवेयर टूल्स एण्ड मशीनरी प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, अहमदाबाद द्वारा डिबार रहने संबंधी तथ्य को छिपाकर गलत शपथ पत्र के आधार पर निविदा प्राप्त करने के आरोप के लिए अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटिरिंग अंचल–02, पटना द्वारा संवेदक के विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई का प्रस्ताव समर्पित किया गया।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोप के लिए संवेदक मेसर्स हार्डवेयर टूल्स एण्ड मशीनरी प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, अहमदाबाद से बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम–11(क)(vii) में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय पत्रांक–4651 दिनांक–18.08.2023 द्वारा कारण–पृच्छा किया गया। संवेदक से प्राप्त कारण–पृच्छा पर विभागीय पत्रांक–4967 दिनांक–19.09.2023 द्वारा मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, पटना से मंतव्य प्रतिवेदन की माँग की गयी।

3. मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक–1903 दिनांक–10.10.2023 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेखित है कि निविदा के साथ संलग्न शपथ–पत्र में अंकित Government Department India के संबंध में संवेदक द्वारा अपने जबाब में कहा गया कि उनके द्वारा Central Government एवं इससे संबंधित विभाग समझा गया एवं तदनुसार तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शपथ पत्र समर्पित किया गया।

4. विभाग द्वारा निविदा के साथ वांछित शपथ पत्र फॉरमेट निम्न प्रकार हैः–

"The Undersigned also hereby Certifies that neither our firm M/S ..... Has been blacklisted nor has abandoned any work in any government department, India nor any contract awarded to us for such works have been rescined during last five years prior to the date of this bid"

उक्त शपथ पत्र फॉरमेट में स्पष्ट है कि Any government department, India अर्थात भारत के किसी सरकारी विभाग में blacklisted या Abandoned नहीं होने के आशय का शपथ पत्र दिया जाना है।

5. विदित हो कि मुख्य अभियंता (पूर्व) एवं अतिरिक्त सचिव सीएडी, जयपुर के कार्यालय आदेश सं0–2053 दिनांक–31.08.2020 द्वारा मेसर्स हार्डवेयर टूल्स एण्ड मशीनरी प्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0, अहमदाबाद को निविदा में भाग लेने हेतु तीन वर्षों के लिए डिबार किया गया था।

6. सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, दरभंगा के अधीन दिनांक–09.12.2022 को निर्गत कोटेशन आमंत्रण सूचना सं0–13 / 2022–23 में संवेदक के द्वारा भाग लिया गया, जबकि उक्त तिथि को संवेदक मेसर्स हार्डवेयर टूल्स एण्ड मशीनरी प्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0, अहमदाबाद डिबार थे। इस तथ्य की पुष्टि संवेदक द्वारा समर्पित कारण–पृच्छा के जवाब के साथ संलग्न वाणिज्यिक न्यायालय, कोटा (राजस्थान) द्वारा डिबार के विरूद्ध दायर मामले में दिनांक–01.04.2023 को पारित आदेश जिसमें संवेदक के डिबार संबंधी आदेश ज्ञापांक–2054–67 दिनांक–31.08.2020 तथा संशोधन आदेश ज्ञापांक–2700 दिनांक–12.10.2020 के कार्यान्वयन को स्थगित किया गया है, से भी होती है।

7. मुख्य अभियंता, यांत्रिक, जल संसाधन विभाग, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि संवेदक मेसर्स हार्डवेयर टूल्स एण्ड मशीनरी प्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0 द्वारा डिबार किये जाने संबंधित तथ्य को छिपाकर एवं गलत शपथ पत्र के आधार पर कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, दरभंगा के कोटेशन आमंत्रण सूचना सं0–13 / 2022–23 में भाग लिया गया।

8. संवेदक का उक्त कृत्य बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम–11(क)(vii) में प्रावधानित कदाचार की श्रेणी में आता है, जिसके लिए संवेदक मेसर्स

हार्डवेयर टूल्स एण्ड मशीनरी प्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0 को दोषी पाते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक सं0–5244 दिनांक–12.10.2023 द्वारा 10 वर्षो के लिए कालीसूची में डाला गया।

9. उक्त आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-15172/2023 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–04.09.2024 को अंतिम आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्न है:–

12. "We find a subtle distinction in the instant case; wherein the show cause notice was issued specifically pointing out the consequence of a penalty under Rule-11(क)(vii) of the Bihar Contractors Registration Rules, 2007. The mere fact that there were three optional penalties which could have been imposed by the authority would not be material insofar as the provision having been stated, there is a reasonable ground for the noticee to infer that the maximum penalty would be proposed; which is of blacklisting without any period specified. A defect would have occurred only if a minor penalty was proposed and a graver penalty was imposed or no provision was indicated in the notice. The reference to the provision ought to have cautioned the petitioner and the petitioner should have inferred that the maximum penalty could have been imposed. The option available to the authority, to impose either of these penalties, would arise only after the explanation is received. The authority has considered the explanation and imposed the penalty of blacklisting for 10 years; which period again is as per the guidelines issued by the Government.

13. On the above reasoning, we find no reason to interfere with the impugned order. The writ petition would stand dismissed.

14. Interlocutory application(s), if any shall stand closed."

10. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध संवेदक मेसर्स हार्डवेयर टूल्स एण्ड मशीनरी प्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली में Civil Appeal No.-11410/2025 (@ SLP(C) No.-26980/2024) दायर किया गया, जिसमें दिनांक–04.09.2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्न है:–

"Therefore, it is a fit case for us to direct the respondent(s) to adopt any other mode of punishment. However, having taken note of the fact that the appellant has already suffered around two years of suspension, we would like to modify the punishment to the period already suffered by the appellant."

11. उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा Civil Review Appeal दायर किये जाने के बिन्दु पर विधि विभाग से परामर्श/मंतव्य प्राप्त किया गया, जो निम्न है:–

Having perused order dt 4.9.25 in Civil Appeal No 11410/2025, I do not find this to be a fit case for filing Review petition seeking Review of order dt 4.9.25. There is no apparent error in the order of Supreme Court, which may call for its review. Even otherwise Punishment of suspension has been upheld uptill period already undergone.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा पारित आदेश एवं विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में संवेदक मेसर्स हार्डवेयर टूल्स एण्ड मशीनरी प्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0, पता–803/902 शपथ–1 कॉम्पलेक्स, राजपथ क्लब के सामने, एस0जी0 हाईवे पो0–वोडक देव, जिला–अहमदाबाद (गुजरात) पिन–380015, निबंधन सं0–30/2017, श्रेणी प्रथम को विभागीय

आदेश ज्ञापांक सं0–5244 दिनांक–12.10.2023 द्वारा 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत (**Blacklist**) किये जाने की अवधि को घटाकर दिनांक–04.09.2025 तक कालीकृत किया जाता है।

ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक :– 26/विविध–06–20/2023 पटना/दिनांक :..

प्रतिलिपिः– मेसर्स हार्डवेयर टूल्स एण्ड मशीनरी प्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0, पता–803/902 शपथ–1 कॉम्पलेक्स, राजपथ क्लब के सामने, एस0जी0 हाईवे पो0–वोडक देव, जिला–अहमदाबाद (गुजरात) पिन–380015 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांकः– 26/विविध–06–20/2023 पटना, दिनांक :..

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26/विविध–06–20/2023 पटना, दिनांक :..

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो0 एवं मो0, अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0, अंचल–2,3,4, पटना/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26/विविध–06–20/2023 पटना, दिनांक :..

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26/विविध–06–20/2023 1026 पटना, दिनांक :18/7/26

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, प्रभारी आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/07/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।